उत्तर प्रदेश शासन,
सहकारिता अनुभाग–3
संख्या–3069 / 49–3–2010–10 (174) / 2009
लखनऊ : दिनॉक 10 नवम्बर, 2010

कार्यालय ज्ञाप

129/S.T.
11.11.10
DTC
प्रशा०
11/11/10

श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह प्रबन्धक, पैकफेड निर्माण प्रखण्ड, बस्ती का वेतन निर्धारण किये जाने / इंक्रीमेन्ट दिये जाने तथा पदोन्नति किये जाने के संबंध में सिविल मिस रिट याचिका संख्या–38341 / 2009, जैनेन्द्र कुमार सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनॉक 29.7.2009 के अनुपालन में सचिव, सहकारिता विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को प्रेषित श्री सिंह का प्रत्यावेदन दिनॉक 28.3.2009 को निस्तारित किये जाने के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि सचिव, सहकारिता विभाग उ0प्र0 शासन लखनऊ को सम्बोधित श्री सिंह का दिनॉक रहित पत्र शासन में माह दिसम्बर, 2009 में प्राप्त हुआ, जिसके साथ मा0 न्यायालय के निर्णय दिनॉक 29.7.2009 तथा याचिका की प्रति मय संलग्नक प्राप्त हुई। यचिका से संलग्न एनेक्जर–4 के रूप में प्रत्यावेदन दिनॉक 28.03.2009 प्राप्त हुआ। उक्त दिनॉक रहित पत्र प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड, उ0प्र0 लखनऊ तथा निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ को भी पृष्ठांकित है। मा0 न्यायालय के आदेशानुसार श्री सिंह के वेतन निर्धारण एवं पदोन्नति के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने हेतु निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ को शासन के पत्र दिनॉक 07.01.2010 द्वारा निर्देशित किया गया।

(4)
24/11/10

शासन के उक्त पत्र के संदर्भ में निबन्धक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0 के पत्रांक 318 / शीतगृह दिनॉक 23.09.2010 के साथ प्राप्त प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड की आख्या दिनॉक 13.9.2010 के अनुसार मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय / आदेश दिनॉक 29.7.2009 के संबंध में पैकफेड के संवर्ग प्राधिकारी की बैठक दिनॉक 29.1.2010 द्वारा संवर्ग के प्रबन्धकों का वेतन पुनरीक्षण करने का निर्णय लिया गया, जिसे निबन्धक, सहकारी समितियॉ, लखनऊ के आदेश पत्रांक 183 / पी0–1 / शीत0 / 09(5) दिनॉक 21.6.2010 द्वारा अनुमोदित किया गया।

उक्त अनुमोदन के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड कार्यालय के पत्र संख्या–4589–92/क्यू0एफ0–ए0/001, दिनॉक 20.8.2010 द्वारा श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह, प्रबन्धक (शीतगृह) के वेतन का निर्धारण दिनॉक 01.01.1996 से पुनरीक्षित पंचम वेतनमान रू0–8000–275–13500 में दिनॉक 01.01.2010 को मूल वेतन रू0–11850/– निर्धारित कर दिया गया है। प्रबन्ध निदेशक, पैकफेड का वेतन निर्धारण संबंधी उक्त पत्र श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह को भी पृष्ठांकित किया गया है। जहॉ तक पदोन्नति का प्रश्न है, इस संबंध में अवगत कराया गया है कि उत्तर प्रदेश सहकारी प्रसंस्करण इकाई एवं कोल्ड स्टोरेज केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1981 में शीतगृह प्रबन्धकों की पदोन्नति हेतु कोई पद विद्यमान नहीं है।

अतएव उपरोक्त आख्या एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह का प्रत्यावेदन एतद् द्वारा निस्तारित किया जाता है।

कपिल देव
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या–3069 (1)/49–3–2010 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– श्री जैनेन्द्र कुमार सिंह, प्रबन्धक, पैकफेड निर्माण प्रखण्ड, बस्ती।
2– निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक 318/शीतगृह दिनॉक 23 सितम्बर, 2010 के संदर्भ में।
3– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 विधायन एवं निर्माण सहकारी संघ लि0, लखनऊ।
4– वेव मास्टर, निबन्धक, सहकारी समितियॉ, उ0प्र0 लखनऊ।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(मोहन लाल)
विशेष सचिव।